



दिल्ली सल्तनतकालीन — प्रशासनिक संरचना —

इस्लामी
शरीयत +
फारसी परंपरा +
भारतीय परिस्थितियों
= दिल्ली सल्तनत की
प्रशासनिक व्यवस्था

1 केंद्रीय प्रशासन एवं सुल्तान की स्थिति

दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था सैन्य-केंद्रीकृत राजतंत्र पर आधारित थी, जिसमें इस्लामी शरीयत, फारसी राजत्व परंपरा तथा भारतीय परिस्थितियों का समन्वय था।

सुल्तान की स्थिति

- राज्य का प्रधान कार्यपालक, मुख्य सेनापति और अंतिम न्यायिक प्राधिकारी था।

खलीफा से संबंध

- वैधता के लिए खुतबा में खलीफा का नाम पढ़ा और सिक्कों पर उनका नाम अंकित कराया।

कुतुबुद्दीन ऐबक
(1206-1210 ई.)

केवल 'मलिक' एवं 'सिपहसालार' की पदवी धारण की।

इल्तुतमिश
(1211-1236 ई.)

1229 ई. में बगदाद के खलीफा अल-मुस्तांसिर बिल्लाह से 'मंसूर' (सनद) प्राप्त कर स्वयं को 'नासिर अमीर उल मोमिनीन' घोषित किया।

अलाउद्दीन खिलजी
(1296-1316 ई.)

स्वयं को 'यामीन-उल-खिलाफत नासिरी अमीर-उल-मोमिनीन' कहा, परंतु धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया।

मुबारक शाह खिलजी
(1316-1320 ई.)

एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर स्वयं को 'खलीफा' घोषित किया ('अल-इमाम', 'अल-वाधिक बिल्लाह')।



राजत्व का सिद्धांत

- बलबन (1266-1287 ई.)** : राजत्व को 'नियाबत-ए-खुदाई' (ईश्वर का प्रतिनिधि) और सुल्तान को 'जिल्ल-ए-इलाही' (ईश्वर की छाया) माना। दरबार में ईरानी परंपरा 'सिजदा' (धुटने टेककर सिर झुकाना) और 'पाबोस' (चरण चूमना) लागू की तथा 'नोरोज' उत्सव की शुरुआत की।
- लोदी शासक (1451-1526 ई.)** : अफगान राजत्व सिद्धांत 'समानों में प्रथम' (बंधुत्व/समानता) पर आधारित था। बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, वह अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था।



सिजदा और पाबोस



अफगान परंपरा
(समानों में प्रथम)

2 प्रमुख केंद्रीय विभाग एवं अधिकारी

विभाग का नाम	प्रमुख अधिकारी	कार्य एवं उत्तरदायित्व
दीवान-ए-विजारत	वजीर	वित्त, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन का सर्वोच्च विभाग।
दीवान-ए-आरिज	आरिज-ए-मुमालिक	सैन्य भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन एवं निरीक्षण (सर्वप्रथम बलबन द्वारा स्थापित)।
दीवान-ए-इंशा	दबीर-ए-खास / दबीर-ए-मुमालिक	शाही पत्राचार एवं सुल्तान के फरमानों का प्रारूप तैयार करना।
दीवान-ए-रसालत	सद्र-उस-सुदूर / रईस-ए-मुमालिक	विदेशी मामले एवं धार्मिक/दान संबंधी कार्य (स्रोतों के अनुसार दोनों संदर्भ मिलते हैं)।
दीवान-ए-करजा	काजी-उल-कुजात	सुल्तान के बाद न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी।
दीवान-ए-बरीद	बरीद-ए-मुमालिक	गुप्तचर व्यवस्था, डाक चौकी एवं सूचना संकलन।

3 विशिष्ट प्रशासनिक विभाग (सुल्तानों द्वारा स्थापित)

दीवान-ए-मुस्खराज संस्थापक : अलाउद्दीन खिलजी उद्देश्य : राजस्व अधिकारियों (मुकद्दम, पटवारी, आमिल आदि) के पास बकाया राजस्व की वसूली करना।	दीवान-ए-रियासत संस्थापक : अलाउद्दीन खिलजी उद्देश्य : बाजार नियंत्रण व्यवस्था का विनियमन, व्यापारियों का पंजीकरण एवं वस्तुओं के मूल्य पर निगरानी।	दीवान-ए-अमीर-कोही संस्थापक : मुहम्मद बिन तुगलक उद्देश्य : कृषि का विस्तार एवं सुधार, परती भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा कुषकों को 'सोंघर' (तकावी/कृषि ऋण) वितरित करना।	दीवान-ए-बंदगान संस्थापक : फिरोज शाह तुगलक उद्देश्य : दासों (गुलामों) की देखरेख, प्रशिक्षण और उनका नियोजन।	दीवान-ए-खैरात संस्थापक : फिरोज शाह तुगलक उद्देश्य : अनाथों, विधवाओं और निर्धन मुस्लिम युवतियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता।	दीवान-ए-इंस्तिहक संस्थापक : फिरोज शाह तुगलक उद्देश्य : पेंशन और भत्ते का वितरण।	दार-उल-शफा संस्थापक : फिरोज शाह तुगलक उद्देश्य : जनता के लिए निःशुल्क राजकीय चिकित्सालय।
--	---	--	--	--	--	---

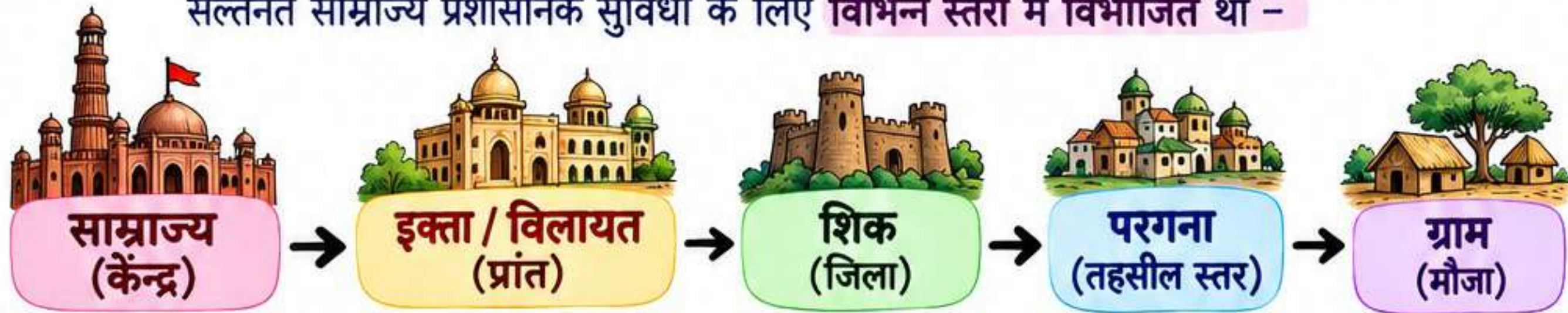
—: एक संगठित प्रशासन, एक सशक्त सल्तनत —:



दिल्ली सल्तनत
(1206 - 1526 ई.)

3 प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था

सल्तनत साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों में विभाजित था -



प्रशासनिक इकाइयाँ एवं उनके प्रभारी

इक्ता / विलायत (प्रांत)

- प्रांतों को 'इक्ता' कहा जाता था। इसके प्रमुख को 'मुक्ती', 'वली' या 'नाजिम' कहा जाता था।
- कार्य : कानून-व्यवस्था बनाए रखना, केंद्रीय आदेशों का पालन कराना, सेना रखना और राजस्व एकत्र कर केंद्र को भेजना।



मुक्ती / वली / नाजिम

शिक (जिला)

- 1398 ई. के आसपास मुहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रांतों को 'शिक' में विभाजित किया गया।
- प्रमुख अधिकारी : शिकदार (सैन्य एवं प्रशासनिक प्रमुख)।



शिकदार

परगना (उप-जिला)

- कई गांवों के समूह को मिलाकर परगना बनता था।
- प्रमुख अधिकारी :
- आमिल : राजस्व वसूली का प्रमुख।
- मुंसिफ/कारकुन : लेखा-जोखा रखने वाला (अमीन)।



आमिल / मुंसिफ

ग्राम (मौजा)

- ग्रामीण प्रशासन में पारंपरिक स्थानीय अधिकारियों की भूमिका यथावत बनी रही।
- खुत्त / मुकद्दम : ग्राम प्रधान।
- चौधरी : परगना स्तर पर ग्रामीण अभिजात वर्ग का प्रतिनिधि।
- पटवारी : ग्रामीण भूमि एवं राजस्व अभिलेखों का संरक्षक।



4 इक्ता प्रणाली : स्वरूप एवं क्रमिक विकास

इक्ता एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है **भूमि** या **राजस्व का आवंटन**। यह वंशानुगत जागीर न होकर एक हस्तांतरणीय प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यभार था।

इक्ता

= भूमि / राजस्व का आवंटन



1. आरंभिक स्वरूप (इल्तुतमिश)

- भारत में संस्थागत रूप से इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की।
- उसने अपने अमीरों और सैनिकों को नकद वेतन के बदले भूमि क्षेत्र (इक्ता) सौंपे।

प्रकार

बड़े इक्तादार (मुक्ती / वली)

प्रशासनिक और सैन्य दोनों दायित्व संभालते थे।

छोटे इक्तादार (इक्तेदार)

केवल सैन्य सेना के बदले राजस्व उपभोग करते थे।

2. फवाजिल की अवधारणा

- इक्ता से प्राप्त कुल राजस्व में से इक्तादार द्वारा अपने और अपनी सेना के व्यय को काटकर जो अधिशेष राशि केंद्र को भेजी जाती थी, उसे 'फवाजिल' कहा जाता था।



3. बलबन का सुधार

- इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने 'ख्वाजा' (लेखा परीक्षक / नाजीर) नामक स्वतंत्र असैन्य अधिकारी नियुक्त किया, जो इक्ता के आय-व्यय की वास्तविक रिपोर्ट केंद्र को देता था।



ख्वाजा

4. अलाउद्दीन खिलजी के कड़े कदम

- छोटे इक्ता समाप्त कर भूमि को सीधे केंद्रीय नियंत्रण (खालिसा) में लिया।
- फवाजिल की वसूली सख्ती से की और इक्तादारों के विशेषाधिकार समाप्त किए।



5. फिराज शाह तुगलक का विवकेंद्रीकरण

- फिरोज तुगलक ने इक्ताओं और सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, जिससे केंद्रीय नियंत्रण अत्यंत शिथिल हो गया और सल्तनत के पतन की नींव पड़ी।

